संख्या- 34/2021/।/64068/2021/डी-171/38-2-2021

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-229/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0(ग्रेच्युटी)/2020-21, दिनांक 06 अप्रैल,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2(6)(स) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा तथा धनराशि को बैंक खाते या पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(3) उक्त धनराशि के व्यय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिये डायवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाये, उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

संख्या- 34/2021/।/64068/2021/डी-171/38-2-2021 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।